UPDE010033152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, देवरिया।
पीठासीन अधिकारी–काशी नाथ, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06231

<u>प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1355/2026</u>

अवधेश कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व0 घुरहू

निवासी ग्राम–फत्तेहपुर, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़———आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य————————————————————————————विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–155/2026
धारा–3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0
व 11 पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम
व धारा–325, 61(2ए) बी0एन0एस0
थाना–बनकटा,जिला–देवरिया

<u>20–07–2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अवधेश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–155/2026, अन्तर्गत धारा–3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम व धारा–325, 61(2ए) बी0एन0एस0, थाना–बनकटा, जिला–देवरिया के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त की पत्नी मिना भारती द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में कथन किया गया कि रपट के अनुसार आवेदक के विरूद्ध दो अन्य सहअभियुक्तगण

के साथ मिलकर पिकप वाहन संख्या–यू0पी0–61 टी0–8320 में गोवंशीय पशुओं को लादकर कटने हेतु बिहार प्रान्त ले जाने का आरोप है, जो गलत है। आवेदक कथित घटना स्थल सोहनपुर बाजार बाईपास अन्तर्गत थाना बनकटा, जिला देवरिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर आजमगढ़ का मूल निवासी है। जनपद आजमगढ़ से बिहार प्रान्त जाने हेतु अन्य भी तमाम रास्ते उपलब्ध हैं ऐसी स्थिति में दिन के समय में कथित गोवंश को लादकर, कथित घटना स्थल पर पहुंचना असम्भव एवं अस्वभाविक है। घटना स्थल सोहनपुर बाजार बाईपास अन्तर्गत थाना बनकटा, जिला देवरिया के पास तमाम मकानात एवं दुकाने हैं तथा अगल बगल में गांव स्थित है और वह पब्लिक प्लेस है जहां सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक निवास करते हैं। उक्त रास्ता आम रास्ता है जिससे होकर निरन्तर तमाम वाहनों एवं व्यक्तियों का आना जाना रहता है फिर भी कथित फर्द बरामदगी में पब्लिक के किसी व्यक्ति को गवाह नामजद नहीं किया गया है। फर्द बरामदगी में सभी गवाहान पुलिस वाले हैं। आवेदक पिकअप वाहन संख्या–यू0पी0–61 टी0–8320 का वाहन स्वामी है और आवेदक उक्त पिकप में सब्जी लादकर सोहनपुर बाजार अन्तर्गत थाना बनकटा, जिला देवरिया गया था, जहां से वापस लौटते वक्त दूसरे जिला का नम्बर प्लेट देखकर थाना बनकटा की पुलिस द्वारा आवेदक के पिकअप को रोककर पैसे की मांग किया गया और पैसा देने में असमर्थता व्यक्त करने पर कथित गोवंश की फर्जी बरामदगी दिखाकर आवेदक की उक्त पिकअप को थाना बनकटा में फर्जी तौर पर बन्द कर दिया गया और उपरोक्त मुकदमें में आवेदक का चालान कर दिया गया। आवेदक के पास से कोई हथियार या रस्सी आदि की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक दिनांक–21–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का एक सुनियोजित गिरोह है जिनका उद्देश्य गोवंशीय पशुओं की तस्करी उनके वध के उद्देश्य से किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित वाहन का वाहन स्वामी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। इन्हीं आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का

जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि निरीक्षक दिनेश कुमार मौर्य मय हमराह के दिनांक–20–06–2026 को संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु वाहन चेकिंग कर रहे थे कि अकटही बाजार की ओर से एक चार पहिया पिकप वाहन तेजी से आती हुई दिखायी दी, जिसको मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास यिका गया किन्तु उक्त पिकप वाहन का चालक वाहन को न रोकते हुए तेजी से भागने लगा। वाहन को देखने पर वाहन का दाहिना पिछला टायर पंक्चर प्रतीत हो रहा था। पीछा करने पर पिकप वाहन ग्राम सोरठाचक गांव के करीब सड़क पर खड़ा दिखायी दिया जिसके आस पास लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों ने बताया कि दो व्यक्ति तेजी से गेट खोलकर पूरब की तरफ भागे हैं। लोगों के बताने के अनुसार दोनों व्यक्तियों को हिमकत अमली से पकड़ लिया गया। पहले व्यक्ति ने अपना नाम वाहिद पुत्र फिरोज अहमद निवासी ग्राम खरगीपुर गोड़हरा, थाना बरदह, जिला आजमगढ़ एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अवधेश कुमार पुत्र स्व0 घुरहू निवासी ग्राम फतेपुर, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ बताया। भागने के बावत पूछने पर दोनों व्यक्ति बता रहे हैं कि साहब दूर खड़ी पिकप वाहन संख्या–यू0पी0–61 टी0–8320 में गोवंशीय पशुओं को लादकर कटने हेतु बिहार राज्य ले जा रहे थे, टायर फटने के वजह से गाड़ी का पिछला पहिया रिम पर आ गया, दुर्घटना होने के डर से व पकड़े जाने के डर से मौका पाकर गाड़ी छोड़कर भागकर झाड़ियों में छिप गये थे। यह कार्य आसिफ अंसारी पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम हसनाडीह थाना अहिरौली, जिला आजमगढ़ के कहने पर करते हैं। सभी पुलिस कर्मियों द्वारा पिकप वाहन को खुलवाकर चेक किया गया तो उसमें 11 अद्द गोवंशीय पशु क्रूरता पूर्वक वध हेतु बांधे गए थे, जिसमें सभी गाय व बछड़ों के मुंह से लार व झाग निकल रहा था तथा सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। बरामदशुदा 11 अद्द गोवंशीय पशुओं में 4 गाय व 3 बछड़ा की मृत्यु हो गयी। सभी बरामद पशुओं के हुलिया का भी उल्लेख किया गया है। मौके पर फर्द बरामदगी तैयार की गयी।

6. उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर थाना बनकटा, जिला देवरिया पर अभियुक्तगण वाहिद, अवधेश कुमार एवं आसिफ अंसारी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–155/2026, अन्तर्गत धारा–3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता

(निवारण) अधिनियम व धारा–325, 61(2ए) बी0एन0एस0 में दर्ज किया गया। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

7. थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त अवधेश कुमार का आपराधिक इतिहास निम्नवत हैः–

I. मु0अ0सं0–319/2022, धारा–308, 323, 504, 506, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

II. मु0अ0सं0–359/2024, धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

III. मु0अ0सं0–518/2025, धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

IV. मु0अ0सं0–78/2025, धारा–3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम, थाना भाटपाररानी, जिला देवरिया, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

V. मु0अ0सं0–06/2021, धारा–3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम, थाना भलुअनी, जिला देवरिया, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

VI. मु0अ0सं0–379/2023, धारा–3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम, थाना गोला, जिला गोरखपुर, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

VII. मु0अ0सं0–08/2024, धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम, थाना गोला, जिला गोरखपुर, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

VIII. मु0अ0सं0–114/2022, धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम व धारा–427, 429 भा0दं0सं0, थाना गोला, जिला गोरखपुर, (जमानत के सम्बन्ध में जानकारी अस्पष्ट)

8. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

09. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर यह आरोप है कि पिकप वाहन संख्या–यू0पी0–61 टी0–8320 से कुल 11 राशि गोवंशीय (04 राशि जीवित व 7 राशि मृत) बरामद किये गये जिन्हें अमानवीय ढंग से बांधकर रखा गया था तथा जिनके मुंह से झाग व लार एवं आंखों से आंसू निकल रहे थे। आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित वाहन का वाहन स्वामी है। आवेदक/अभियुक्त को कथित घटना स्थल से थोड़ी दूर झाड़ी झुरमुट के पास से पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकार अभियुक्त अभ्यस्तः अपराधी है, उसका कृत्य सुनियोजित गैंग द्वारा कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट है। सहअभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

10. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा बिना गुणदोष के आधार पर टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त अवधेश कुमार द्वारा प्रस्तुत **प्रथम** जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अवधेश कुमार** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–155/2026, अन्तर्गत धारा–3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम व धारा–325, 61(2ए) बी0एन0एस0, थाना–बनकटा, जिला–देवरिया के मामले में प्रस्तुत **प्रथम** जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

ह0

दिनांक–20–07–2026

(काशी नाथ)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।